भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 957
18 सितबंर, 2020 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान स्वास्थ्य काड

957. **डॉ॰ मोहम्मद जावेदः**
श्री गोपाल जी ठाकुरः
श्री रामचरण बोहराः
श्री वी॰ वैथिलिगमः
श्री धमवीर सिहः

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करगे किः

(क) क्या सरकार ने सभी बीपीएल/पात्र परिवारों को आयुष्मान स्वास्थ्य काड/ई-काड वितरित किए है और यदि हां, तो विशेषकर बिहार सहित तत्संबंध्ी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि पुदुचेरी सहित कई राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों म बड़ी संख्या म पात्र लाभार्थियों को इस योजना के कवरेज से बाहर रखा गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) इस योजना के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को कब तक शामिल किए जाने को संभावना है;

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है कि वास्तविक लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिले;

(ङ) आयुष्मान भारत योजना के अंतगत लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों को राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है और इस योजना के तहत नए लाभार्थियों को शामिल करने के लिए क्या मापदंड तय किए गए है; और

(च) हरियाणा और दिल्ली म इस योजना के तहत संलग्न निजी और सरकारी अस्पतालों को संख्या कितनी है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (ग) सामाजिक- आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) -2011 के आकड़ों के अनुसार आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी- पीएमजेएवाई) ग्रामीण क्षेत्रों म वंचित परिवारों और चिन्हित व्यावसायिक श्रेणियों के कामगारों के परिवारों को कवर करती है। इसके अलावा, पूववर्ती

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतगत ऐसे सभी लाभार्थी परिवार जो एसईसीसी आंकड़ों के अनुसार लक्षित समूहों म शामिल नही होते है, को भी एबी- पीएमएसएवाई के अतंगत कवर किया गया है।
एबी- पीएमएसएवाई एक पात्रता आधारित योजना है और सभी पात्र परिवार राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र म योजना के कायान्वयन के दिन से कवर होते है। योजना के अंतगत लाभ उठाने के लिए लाभार्थी के पंजीकरण या नामांकन की जरूरत नही है।
तथापि, आसानी से लाभ लेने सुविधाजनक बनाने के लिए, लाभार्थी के सत्यापन के पश्चात, ई- काड जारी किए जाते है। दिनांक 14/09/2020 को स्थितिनुसार योजना के अंतगत 12.55 करोड़ से अधिक लाभार्थियों का सत्यापन किया गया है।
बिहार म, दिनांक 14/09/2020 को स्थितिनुसार, 53.9 लाख लाभार्थियों का सत्यापन किया गया है। लाभार्थियों को जारी ई- काड का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा अनुलग्नक म दिया गया है।

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कोई पात्र लाभार्थी योजना के लाभों से वंचित न रहे, राज्य स्वास्थ्य एजसियां (एसएचए) को मिशन मोड म लाभार्थी को पहचान करने का निदेश दिया गया है। एसएचए को परामश भी दिया गया है कि वे योजना के लाभार्थियों को पहचान के लिए पैनलबद्ध अस्पतालों म सभी अंतरंग रोगियों की जांच करे।

इसके अलावा, लाभार्थियों को योजना के अंतगत अपने हकों और अधिकारों के बारे म सशक्त बनाने और जागरूकता फैलाने के लिए एक व्यापक मिडियी एवं आऊटरील रणनीति का अनुसारण किया गया है। इसम मिडिया वाहनों जैसे आऊटडोर मिडिया का प्रयोग विभिन्न रेलवे स्टेशनों के टिकिट काउन्टस रक डिजिटल डिस्प्ले, मुख्य बस स्टेशनों पर घोषणाए, यात्री ट्रेन को ब्रांन्डिग, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रेस कवरेज प्रिंट मिडिया म ऑप एड और विज्ञापनस रेडियों अभियान, दूरदशन के माध्यम से लाभार्थी टेस्टिमॉनियल्स का प्रसारण, एसएमएस के जरिए बड़े पैमाने पर संदेश देना, पारम्परिक मीडिया आदि आधारित है।

उपचार लेने से पहले लाभार्थी को पहचान स्थापित करने/ प्रभावित करने के लिए एक पहचान प्रणाली लागू है। लाभार्थी को पहचान सफल प्रमाणन के उपरांत सेवाओं को व्यवस्थित प्रदानगी के लिए विशिष्ट आईडी के साथ एक पेपर आधारित ई- काड प्रदान किया जाता है।

(ड़) दिनांक 14/09/2020 को स्थितिनुसार, योजना के अंतगत अस्पतालों म 1.23 करोड़ से अधिक लाभार्थी भर्ती हो चुके है। राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा अनुलग्नक म दिया गया है। वतमान म योजना के अंतगत नए लाभार्थी परिवारों को शामिल करने का प्रावधान नही है। तथापि, छूटे गए पारिवारिक सदस्यों को मौजूदा लाभार्थी परिवार म जोड़ा जा सकता है।

(च) दिनांक 14/9/2020 को स्थितिनुसार हरियाणा म निजी क्षेत्र के 374 अस्पतालों सहित 545 अस्पताल पैनलबद्ध है।

वतमान म राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली म एबी- पीएमएसएवाई योजना का कायान्वयन नही किया जा रहा है। तथापि, चूंकि संपूण देश म लाभों की पोटबिलिटी है, दिल्ली म 35 निजी अस्पतालों सहित 66 अस्पताल अन्य राज्यों से आए लाभार्थियों को सेवाए प्रदान करने हेतु पैनलबद्ध है।

अनुलग्नक

एबी- पीएमएसएवाई के अंतगत लाभार्थियों को जारी ई- कार्डों का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा (दिनांक 14/09/2020 की स्थितिनुसार)		
राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	**ई- काड जारी (लाख म) ***	**अधिकृत अस्पतालीकरण (लाख म)**
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.15	0.002
आंध्र प्रदेश*	-	8.88
अरुणाचल प्रदेश	0.02	0.018
असम	122.78	1.496
बिहार	53.9	2.068
चंडीगढ़	0.51	0.059
छत्तीसगढ़	30.06	10.674
दादरा और नगर हवेली | दमन और दीव	4.02	0.53
गोवा	0.22	0.101
गुजरात	72.85	19.056
हरियाणा	22.5	1.646
हिमाचल प्रदेश	8.47	0.707
जम्मू और कश्मीर यूटी	11.08	0.891
लद्दाख यूटी	0.32	0.008
झारखंड	87.99	6.267
कनाटक	97.83	9.143
केरल	64.51	13.573
लक्षद्वीप	0.02	0
मध्य प्रदेश	145.7	4.473
महाराष्ट्र	68.99	3.339
मणिपुर	2.45	0.213
मेघालय	15.73	1.761
मिजोरम	3.52	0.439
नगालड	2.43	0.149
पुडुचेरी	1.23	0.031
पंजाब	44.24	3.933
राजस्थान*	-	9.846
सिक्किम	0.32	0.021
तमिलनाडु	247.27	16.912
त्रिपुरा	11.45	0.718
उत्तर प्रदेश	96.16	4.51
उत्तराखंड	38.91	2.126
कुल संख्या	**1,255.62**	**123.591**

* उपरोक्त सूचना पीएमएसएवाई आईटी प्लेटफाम पर जारी ई- कार्डों के साथ- साथ राज्य योजनाओं के सहयोग से पीएमएसएवाई का कार्यान्वयन करने वाले राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जारी कार्डों से संबंधित है।